पंजाब राज्य व अन्य

बनाम

देव राज व अन्य

21 सितम्बर, 2007

[डॉ0 अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे0 जे0]

सेवा विधि-समाहित करने का दावा- सरकार द्वारा आर्थिक संकट से जूझ रहे विद्यालय को उसके मौजूदा कर्मचारियों के साथ अपने नियंत्रण में लेना- शिक्षक जिन्होंने, सरकार द्वारा निर्णय लेने के पश्चात एक निश्चित समय के लिए विद्यालय में प्रवेश किया, समाहित करने का दावा किया- उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश- तत्पश्चात न्यायालय द्वारा दावेदारों को समाहित करने का आदेश- खण्डपीठ ने राज्य की अपील इस आधार पर खारिज कर दी कि दावेदार स्थगन आदेश के आधार पर कार्य कर रहे थे- पोषणीयता, अभिनिर्धारित- पोषणीय नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय ने विद्यालय प्रशासन व राज्यसरकार के मध्य हुए करार पर विचार नहीं किया, जब नीतिगत निर्णय लिया तब जो कर्मचारी मौजूद थे, उनकी शेक्षणिक योग्यता पर भी विचार करना चाहिए था। अतः मामला प्रतिप्रेषित-

दिनांक 28.03.1983 को राज्य सरकार ने आर्थिक संकट से जूझरहे विद्यालय को उसके मौजूदा कर्मचारियों के साथ अपने नियंत्रण में लेने का करार विद्यालय प्रशासन के साथ किया। उत्तरदाता/शिक्षक अथवा

प्रयोगशाला सहायक जो 29.06.1983 से 21.01.1984 के मध्य के थे ने सरकारी सेवा में समाहित करने का दावा करते हुए एक रिट याचिका पेश की। अपीलार्थी ने इस आधार पर आपत्ति की कि जिस समय सैद्धांतिक निर्णय लिया गया था, उस समय प्रबंधन कर्मचारियों द्वारा तैयार की गयी कर्मचारी सूची में उत्तरदाताओं का नाम शामिल नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया जो लगातार जारी रहा। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि क्योंकि वे 28.06.1983 और 26.01.1987 के बीच जब कार्यरत रहे थे तब विद्यालय को शिक्षकों की आवश्यकता थी और इसलिए उन्हें समाहित किया जाना चाहिए। अपीलार्थी ने व्यथित होकर लेटर पेटेन्ट अपील पेश की जो इस आधार पर खारिज हो गयी कि उत्तरदाता 1987 से लगातार कार्यरत रहे। अतः वर्तमान अपील दायर की गयी।

अपील स्वीकार करते हुए मामला प्रतिप्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि-

(अ) एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था कि एक विहित योग्यता रखने वाले कर्मचारी जो उस समय कर्मचारियों में शामिल थे जब नीतिगत निर्णय लिया गया था को भी विचार में लिया जायेगा। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस पहलू पर विचार नहीं किया। आश्चर्यजनक रूप से खण्ड पीठ ने गुणदोषों पर विचार नहीं किया और केवल इसी आधार पर लेटरर्स पेटेन्ट

अपील खारिज कर दी कि उत्तरदाता 1987 से कार्य कर रहे थे। यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से माने जाने योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय को विद्यालय प्रशासन और सरकार के मध्य हुए करार की शर्तों को देखना चाहिए था। जब विवाद को अंतिम रूप से निस्तारित किया जा रहा हो तब न्यायालय को इस तथ्य से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि पूर्व में कोई अंतरिम व्यवस्थाएं की गयी थी। ऐसी अंतरिम व्यवस्थाएं हमेशा अंतिम निर्णय के अधीन होती है। चूंकि खण्ड पीठ ने अपील को गुणदोषों के आधार पर निर्णीत नहीं किया है इसलिए मामला पुनः निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय : सिविल अपील सं0 4408/2007

लेटर्स पेटेन्ट अपील सं0 294/2003 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2005 को पारित आदेश से

कृष्णन वेणुगोपाल और अजय पाल, अपीलार्थी की ओर से।

आर0के0 कपूर, एम0के0 वर्मा और अनीस अहमद खान, उत्तरदाता की ओर से।

डॉ0 अरिजीत पसायत न्यायाधिपति द्वारा पारित किया गया निर्णय

1. अनुमति दी गयी।

2. अपीलार्थी द्वारा पेश की गयी लेटर्स पेटेन्ट अपील को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा खारिज किये गये आदेश के विरूद्ध अपील।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि-

दिनांक 07.09.1980 को जनता हाई स्कूल रत्तेवाल ने एक प्रस्ताव पारित किया कि राज्य सरकार को संस्थान को अपने नियंत्रण में लेने का निवेदन किया जाये क्योंकि संस्थान वित्तीय आपत्ति में था। दिनांक 28.06.1983 को सरकार ने संस्थान को इन शर्तों पर नियंत्रण में लेने का निर्णय किया कि विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की उनकी योग्यता प्रमाण पत्र के साथ एक दान विलेख सरकार को उपलब्ध करवाया जाये। कर्मचारियों की सूची में उस समय उत्तरदाता का नाम शामिल नहीं था। उत्तरदाता गैर सहायक पदों पर अलग-अलग दिनांक पर शिक्षक व प्रयोगशाला सहायक के पद पर दिनांक 29.06.1983 से 21.01.1984 के बीच नियुक्त किये गये थे। राज्य सरकार ने 22.01.1987 को संस्थान को इस शर्त के आधार पर नियंत्रण में लिया कि केवल वही कर्मचारी जो नियंत्रण में लेने के निर्णय के समय कार्यरत थे, शामिल किये जायेंगे। दिनांक 22.01.1987 को विद्यालय को नियंत्रण में ले लिया गया और अपनाये जाने वाले मापदंण्डों की शर्तों के आधार पर कार्य शुरू हो गया। करार के खण्ड 3 के अनुसार सरकार को सभी कर्मचारियों को अपने

नियंत्रण में लेने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार को यह प्राधिकार था कि वह केवल उन्हीं कर्मचारियों को समाहित करें जो एक विहित योग्यता रखते हैं। दिनांक 22.05.1987 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया जिसका आवश्यक भाग इस प्रकार है कि-

''क्र0सं0 6/5-83-एसई(I) दिनांक 22.01.1987 में निम्नलिखित पैरा नं0 1 के नीचे संख्या 1 में -

मूल प्रविष्टि-	प्रतिस्थापित प्रविष्टि
''नियंत्रण में लेते समय''	''26.08.1983 को विद्यालय को नियंत्रण में लेने का जब सरकार द्वारा निर्णय लिया गया''

उत्तरदाताओं द्वारा एक रिट याचिका इस निवेदन के साथ प्रस्तुत की गयी कि उन्हें 22.01.87 से सरकारी सेवा में लिया जावे। जवाब में यह स्पष्ट रूप से आपत्ति ली गयी कि जिस समय सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था उस समय प्रबंधन द्वारा जो कर्मचारियों की सूची तैयार की गयी थी उसमें उत्तरदाताओं का नाम नहीं था। उनके नाम बाद में जोड़े गये थे। सरकारी आदेश के अनुसार दिनांक 28.06.1983 को मौजूदा स्टाफ के साथ विद्यालय को नियंत्रण में लिया गया था, इसलिए अब सरकार उत्तरदाताओं को सरकार में समाहित करने के लिए बाध्य नहीं है। विद्वान एकल पीठ ने स्थगन आदेश जारी किया जो लगातार जारी रहा। तत्पश्चात दिनांक

29.01.2003 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि क्योंकि उत्तरदाता दिनांक 28.06.1983 से 26.01.1987 तक कार्यरत रहे हैं और उस समय अध्यापक और प्रयोगशाला सहायक की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें सरकारी सेवा में समाहित किया जाना चाहिए। अपीलार्थी कीओर से लेटर्स पेटेन्ट अपील प्रस्तुत की गयी जो केवल इस आधार पर खारिज कर दी गयी कि उत्तरदाता 1987 से लगातार कार्य कर रहे हैं।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क रखा कि केवल क्योंकि उत्तरदाता स्थगन आदेश के आधार पर कार्य कर रहे थे, उन्हें अनुतोष देने का आधार नहीं हो सकता। विशेषकर तब जब करार की दृष्टि से वही कर्मचारी जो निर्णय लेते समय कार्यरत थे समाहित किये जा सकते हैं।

5. उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क रखा कि दान विलेख दिनांक 05.07.1984 को निष्पादित हुआ है तथा निर्णय 06.05.1984 को लिया गया है जो स्पष्ट करता है कि नियंत्रण में लेते समय कार्यरत कर्मचारी को भी सरकारी सेवा में समाहित किया जायेगा। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं था कि एक शुद्धिपत्र इस बात का जारी किया गया था कि वे कर्मचारी जो एक विहित योग्यता रखते हैं और जो निर्णय लेते समय कार्यरत है, उन्हीं को ही विचार में लिया जायेगा। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल पीठ न्यायाधीश द्वारा इस पहलू पर विचार ही

नहीं किया गया। आश्यर्चजनक रूप उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा भी मामले के गुणदोष पर विचार नहीं किया गया और केवल इसी आधार पर लेटर्स पेटेन्ट अपील को खारिज कर दिया गया कि उत्तरदाता 1987 से कार्यरत रहे हैं। यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूा से माने जाने योग्य नहीं है।

6. उच्च न्यायालय को विद्यालय प्रशासन और सरकार के मध्य हुए समझौते की शर्तों को देखना चाहिए था। यदि शर्त यह थी कि जिस दिन निर्णय लिया गया उस दिन निर्णायक कारक क्या था तो उच्च न्यायालय को इस पहलू को विस्तृत रूप से परीक्षित करना चाहिए था। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब किसी विवाद को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है तब अंतरिम व्यवस्थाएं जो पूर्व में की गयी थी, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसी अंतरिम व्यवस्थाएं मुख्य विवाद के निर्णय के अधीन होती है। चूंकि खण्ड पीठ ने अपील को गुणदोषों के आधार पर निर्णीत नहीं किया, इसलिए हमारे विचार में मामला उच्च न्यायालय को पुनः नये रूप से निर्णय करने के लिए प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है। बिना शुल्क।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी रेशमा जानवानी, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।